

10-10-2014

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 ।

आरोपी सहित श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता ।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के.चौहान ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रकरण आज सुनवायी में लिये जाने बाबत पेश किया, बाद विचार आवेदन में दर्शित कारण उचित प्रतीत होने से आवेदन स्वीकार कर आज सुनवायी में लिया गया ।

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है ।

आरोपी एवं फरियादी यशोदा चौधरी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के.चौहान द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320 दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है । प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई ।

फरियादी/आहत योगिता चौधरी स्वतः उपस्थित । उसकी पहचान श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता ने की । पहचान में संदेह नहीं है । प्रार्थी/आहत से पूछे जाने पर उसने स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा-509, 506 भा.द.वि. के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र बैहर द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है । आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-509, 506 भा.द.वि. का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है । राजीनामा आवेदन में व्यक्त किया गया है कि अब संबंध मधुर हो चुके हैं तथा वे आपस में रिश्तेदार हैं । फरियादी ने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है । उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहें इसलिए फरियादी/आहत योगिता चौधरी को आरोपी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इसी स्तर पर इसी स्तर पर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320(2) द0प्र0सं0 का स्व हस्ताक्षरित कर पेश किया गया । उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम हैं । राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है । प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है । फलतः आरोपी प्रदीप कुमार को धारा-509, 506 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति पेश नहीं।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)